

छत्तीसगढ़ शासन
ऊर्जा विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

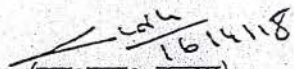
आदेश

नया रायपुर, दिनांक **16 APR 2018**

क्रमांक 1207 / एफ 21/05/2018/13/2: यतः राज्य शासन की यह राय है कि औद्योगिक या आर्थिक क्षेत्र में व्याप्त मंदी के कारण राज्य में संचालित उद्योगों के, बंद होने की स्थिति में, इन उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के बड़ी संख्या में बेरोजगार होने की संभावना तथा राज्य के राजस्व पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए, यह आवश्यक एवं समीचीन है, कि विशेष पैकेज के अंतर्गत दिनांक 01 अक्टूबर 2017 से 31 मार्च 2018 की कालावधि में लागू विशेष रियायती पैकेज के अंतर्गत विद्युत शुल्क में विभिन्न रियायतों को यथा संशोधित रूप में लोकहित में बढ़ाया जाए।

अतएव, राज्य शासन एतद्वारा, विद्युत शुल्क में निम्नानुसार छूट प्रदान करती है:-

- (1.) राज्य में 02 मिलियन टन से कम क्षमता वाले ऐसे स्टील उद्योग जो स्वयं के केप्टिव प्लांट से उत्पादित बिजली का उपयोग स्वयं के स्टील इकाई में करते हैं, हेतु 01 अप्रैल, 2018 से लागू विद्युत शुल्क की 15 प्रतिशत दर को आगामी आदेश तक 15 पैसे प्रति यूनिट किया जाए।
- (2.) राज्य में 02 मिलियन टन से अधिक क्षमता वाले ऐसे स्टील उद्योग जो स्वयं के केप्टिव पॉवर प्लांट से उत्पादित बिजली का उपयोग स्वयं के स्टील इकाई में करते हैं, हेतु 01 अप्रैल 2018 से लागू विद्युत शुल्क की 15 प्रतिशत की दर को आगामी आदेश तक 47 पैसे प्रति यूनिट किया जाए।
- (3.) उपरोक्तानुसार रियायती पैकेज के अंतर्गत विद्युत शुल्क में रियायत की सुविधा को तत्काल प्रभाव लागू किया जाए।

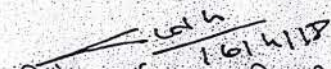

(एम0एस0 रत्नम)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
ऊर्जा विभाग

पृष्ठांक:क्रमांक: 1207/एफ 21/05/2018/13/2
प्रतिलिपि:-

नया रायपुर, दिनांक **16 APR 2018**

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी एवं भारसाधक मंत्री, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छ0ग0 शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज लिमिटेड, डंगनिया, रायपुर।
4. प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
5. सचिव, छ0ग0 शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
6. विशेष सचिव, छ0ग0 शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
7. सचिव, छ0रा0 विद्युत नियामक आयोग, शांति नगर, रायपुर।
8. प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग/उत्पादन/पारेषण/वितरण/ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, डंगनिया, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. ✓ मुख्य विद्युत निरीक्षकालय, छत्तीसगढ़ शासन, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
10. डायरेक्टर, (संचालन संधारण)/(कमर्शियल एण्ड रेग्युलेटरी अफेयर्स), छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, डंगनिया, रायपुर।
11. डायरेक्टर, जनसम्पर्क विभाग, छ0ग0 शासन, नया रायपुर की ओर प्रचार-प्रसार हेतु।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
ऊर्जा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
ऊर्जा विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

आदेश

नया रायपुर, दिनांक 16-04-18

क्रमांक 1209 / एफ 21/05/2018/13/2: यतः राज्य शासन की यह राय है कि औद्योगिक या आर्थिक क्षेत्र में व्याप्त मंदी के कारण राज्य में संचालित उद्योगों के, बंद होने की स्थिति में, इन उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के बड़ी संख्या में बेरोजगार होने की संभावना तथा राज्य के राजस्व पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए, यह आवश्यक एवं समीचीन है, कि विशेष पैकेज के अंतर्गत दिनांक 01 अक्टूबर 2017 से 31 मार्च 2018 की कालावधि में लागू विशेष रियायती पैकेज के अंतर्गत विद्युत शुल्क में विभिन्न रियायतों को यथा संशोधित रूप में लोकहित में बढ़ाया जाए।

अतएव, राज्य शासन एतद्वारा, विद्युत शुल्क में निम्नानुसार छूट प्रदान करती है:-

- (1.) राज्य में 02 मिलियन टन से कम क्षमता वाले ऐसे स्टील उद्योग द्वारा संचालित स्वयं के कोटिव पावर प्लांट के ऑक्जलरी खपत पर 01 अप्रैल 2018 से लागू विद्युत शुल्क की 15 प्रतिशत की दर को आगामी आदेश तक 31 पैसे प्रति यूनिट किया जाए।
- (2.) उपरोक्तानुसार रियायती पैकेज के अंतर्गत विद्युत शुल्क में रियायत की सुविधा को तत्काल प्रभाव लागू किया जाए।

16/4/18
(एम0एस0 रत्नम)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
ऊर्जा विभाग

पृष्ठांक: 1210 / एफ 21/05/2018/13/2
प्रतिलिपि:-

नया रायपुर, दिनांक 16-04-18

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी एवं भारसाधक मंत्री, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छ0ग0 शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड, डंगनिया, रायपुर।
4. प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
5. सचिव, छ0ग0 शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
6. विशेष सचिव, छ0ग0 शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
7. सचिव, छ0रा0 विद्युत नियामक आयोग, शांति नगर, रायपुर।
8. प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग/उत्पादन/पारेषण /वितरण/ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, डंगनिया, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. मुख्य विद्युत निरीक्षकालय, छत्तीसगढ़ शासन, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
10. ✓ डायरेक्टर, (संचालन संधारण)/(कमर्शियल एण्ड रेग्युलेटरी अफेयर्स), छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, डंगनिया, रायपुर।
11. डायरेक्टर, जनसम्पर्क विभाग, छ0ग0 शासन, नया रायपुर की ओर प्रचार-प्रसार हेतु।

16/4/18
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
ऊर्जा विभाग